मध्य प्रदेश में सहकारी आंदोलन (एपैक्स बैंक के विशेष संदर्भ में) सशक्त सहकारिता: सशक्त मध्य प्रदेश

*डॉ. अशोक कुमार शर्मा

सशक्त सहकारिता : सशक्त मध्य प्रदेश

एक नबम्वर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ। मध्य प्रदेश भारत देश का एक पिछडा राज्य है इस राज्य की कुल जनसंख्या 6,03,48,000 है जिसमें से 4,43,81,000 लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते है। इस प्रकार कुल आबादी का लगभग 74 प्रतिशत भाग गाँव में निवास करता है। मध्य प्रदेश में ग्रामों की संख्या लगभग 55393 है। इस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही हैं जिसका मूल कारण अशिक्षा एवं बेरोजगारी है। इस संकट से मुक्ति मिलने का एक आसान तरीका कृषि है। कृषि के विकास के द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिये रोजगार के अधिकतम अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। कृषि के विकास के लिये पर्याप्त वित्तीय एवं साख सुविधाऐं कृषकों को उपलब्ध होना आवश्यक है। जिससे प्रदेश के किसान, मजदूर एवं कारीगर महाजन एवं साहूकारों के चंगुल से मुक्त होकर अपना विकास कर सकें।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः— प्राचीन युग में सहकारिता मानव जीवन का एक दर्शन थी। यूनान में सहकारिता की विद्यमानता इस बात से स्पष्ट होती है कि ''यूनान में मनुष्य के दाह संस्कार के लिए भी सहकारी समितियॉं थी।'' प्राचीन काल में होन वंश के समय सर्वप्रथम साख समिति स्थापित की गई थी। मध्य युग में दस्तकारों के गिल्डों की स्थापना की गई। पंद्रहवी एवं अठारहवी सदी के मध्य सहकारी अग्नि बीमा कम्पनी स्थापित की गई । जर्मनी में सन 1769 में सहकारी भूमि बंधक बैंक स्थापित किये गये।

आधुनिक युग में सहकारिता का जन्म शोषण के विरूद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। इसी समय जर्मनी में शहरी एवं ग्रामीण सहकारी साख प्रारंभ हुई। सहकारिता के भावी प्रभावों का मूल्यांकन कई समितियों तथा उघोगों द्वारा किया गया। इन समितियों में मध्य प्रदेश की किंग समिति एवं केल समिति का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। सन 1929 की विश्वव्यापी मंदी के कारण सहकारी आंदोलन कुछ कमजोर हो गया तथा सभी वस्तुओं के मूल्य गिर गये। तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना की गई। कृषि साख समस्याओं का अध्ययन करने के लिये इस बैंक ने कृषि साख विभाग बनाया जिसने सन 1937 में किसानों के विकास हेतु बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अनुशंसा की। सहकारी आन्दोलन ने योजना काल में अत्यधिक प्रगति की। वर्तमान में सहकारिता द्वारा 96 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनसंख्या की सेवा की जा रही है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक, प्रत्येक जिले में एक जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्रत्येक कस्वे में एक प्राथमिक कृषि साख समिति कार्य कर रही है जो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मार्ग दर्शन में प्रदेश के कृषकों को लाभ पहुँचानें के लिए अपना बहुमूल्य योगदान कर रहे है।

प्राथमिक कृषि साख समिति :— हेनरी वोल्फ ने कहा है कि '' सबसे नीची सतह पर यह स्थानीय समिति ही अकेली ईट है जिस पर सम्पूर्ण ढांचे को खड़ा करने का विचार किया गया है।'' प्राथमिक साख समितियां ग्राम्य स्तर पर स्थापित होती है यह अपने सदस्यों को अल्पकालीन और मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त खाद, बीज, कृषि उपकरण एवं प्रतिदिन की आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का उचित मूल्य पर वितरण करती हैं । वर्तमान में इन समितियों की संख्या 4526 है। तथा सदस्य संख्या 58.71 लाख है, इस वित्त वर्ष में 1923 समितियों द्वारा 45.95 करोड़ रू. का लाभ अर्जित किया गया है जब कि 2603 समितियों को 181.10 करोड़ रू. की हानि हुई।

जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक :— प्राथमिक साख समितियों के निर्देशन एवं नियंत्रण हेतु प्रत्येक जिले में इस बैंक की स्थापना की गई है। इस बैंक का नाम जिला कृषि ग्रामीण विकास बैंक रख दिया गया है। यह बैंक अपने सदस्य सहकारी समितियों को ऋण देता है। इस बैंक का प्रबंध एक संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसका प्रधान अध्यक्ष होता है। इस बैंक के संचालक प्रतिनिधि ही राज्य सहकारी बैंक के संचालक मण्ड़ल के सदस्य होते हैं। वर्ष 2008—09 में म. प्र. में 38 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत थे इस वित्त वर्ष में 37 बैंकों ने 121.64 करोड़ रू. का लाभ अर्जित किया जबकि एक बैंक को 4.49 करोड़ रू. का घाटा हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अंश पूंजी में 14.43 प्रतिशत ,संचित निधि में 11.29 प्रतिशत, जमाओं में 15.60 प्रतिशत तथा ऋण एवं अग्रिम में 3.

*प्राध्यापक-वाणिज्य एम.एल.बी. शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय, ग्वालियर

05 प्रतिशत विकास दर प्राप्त हुई है।

राज्य सहकारी बैंक :—यह बैंक सर्वप्रथम 2 अप्रैल 1912 को सहकारिता अधिनियम 1912 की धारा 2 के द्वारा प्रॉवीजनल कोऑपरेटिव बैंक लि.के नाम से रजिस्टर्ड़ हुआ। इसके पश्चात विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप म.प्र. में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 2 अक्टूवर 2000 से प्रभाव में लाया गया है। यह व्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम के द्वारा की गई है। इससे पहले राज्य में राज्य सहकारी बैंक तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत थे। इस अधिनियम द्वारा प्रदेश के अधिक से अधिक व्यक्तियों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। प्रदेश में वर्तमान में बैंक की 22 शाखाऐं सम्भागीय एवं अमानती शाखाओं के रूप में कार्य कर रही है जो आकर्षक ऋण एवं जमा योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। यह बैंक म.प्र. राज्य में ग्रामीण वित्त प्रबंधन हेतु एक धुरी का कार्य कर रहा है जो नावार्ड़ के सहयोग से कृषि एवं अकृषि ऋण एवं अग्रिम उपलब्ध करा रहा है। इस बैंक का संचालन एवं प्रबंध एक संचालक मण्ड़ल के द्वारा होता है। जिसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष एवं 15 सदस्य शामिल है। इन सदस्यों में आयुक्त/पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र., मुख्य महाप्रबंधक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल तथा प्रबंध संचालक राज्य सहकारी बैंक भोपाल पदेन सदस्य होते है। वर्तमान में श्री भंवरसिंह शेखावत बैंक के अध यक्ष है।

निष्कर्ष :— सहकारी बैंक की व्यवस्था में प्राथमिक सहकारी समितियों का महत्वपूर्ण स्थान है यह समिति ग्रामीण स्तर पर किसानों को साख सुविधा प्रदान करती है यह व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते है समितियों को नहीं। यह जिला स्तर पर स्थापित जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा नियंत्रित होती है, जिला कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक एक ऐसी सहकारी संस्था है जो प्राथमिक सहकारी साख समिति तथा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के मध्य कड़ी का कार्य करती है। राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। यह बैंक राज्य का सर्वोच्च सहकारी बैंक है जो पूरे राज्य की ग्रामीण सहकारी बैंकिंग पर नियंत्रण स्थापित करता है तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा बनाये मार्गदर्शक नियमों एवं सिद्वांतों के द्वारा नियंत्रित होता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. सहकारिता—ड़ॉ बी. एस. माथुर 2. मध्य प्रदेश सहकारी समाचार 3. राज्य सहकारी नियमावली म.प्र. 4. दि. कोऑपरेटर—नई दिल्ली 5. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक वार्षिक प्रतिवेदन 6. बैंक की वेवसाइट www.apexbank.in